न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –78 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/188

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म न्यू राज मोती दूध डेयरी संचालक शब्वीर खान पुत्र नसीर मोहम्मद निवासी बोरखेड़ा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 19.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग / अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित श्रीमती सन्ध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी समीक्षा भटनागर, प्रवर्तन निरीक्षक कोटा द्वारा बोरखेड़ा क्षेत्र में स्थित न्यू राज मोती दूध डेयरी पर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में बोरखेडा स्थित न्यू राज मोती दूध डेयरी पर मौके पर पहुंचे । मौके पर शब्बीर खान पुत्र नसीर मोहम्मद निवासी बोरखेडा उपस्थित मिले । जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान का मालिक होना बताया जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया है । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) गैस भट्टी से जुडा पाया गया जिसका उपयोग चाय बनाकर विक्रय किया जाना पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था । मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान इण्डेन गैस एजेंसी, कोटा के प्रतिनिधि हिमाद्री गोयल पुत्र श्री मुकेश गोयल को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	618241	14.2	15.7	25.0	9.3	घरेलू

इस प्रकार न्यू राज मोती दूध डेयरी के मालिक शब्बीर खान के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित

लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने का आदेश प्रदान करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि फर्म न्यू राज मोती दूध डेयरी संचालक शब्बीर मेरे द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कॉमर्शियल सिलेण्डर के खतम हो जाने के कारण दूध खराब ना हो जाए एवं सिलेण्डर का अभाव होने के कारण इमरजेंसी में उपयोग किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जो भी दण्ड दिया जाए उसे में ग्रहण करने के लिए पाबन्द हूं । अप्रार्थी ने जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस सुपुर्दगी में देने का निवेदन किया ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर श्री मोहम्मद सईद के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा क्षमता) को राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि वह चाय की दुकान लगाते है जिस पर कॉमर्शियल गैस उपयोग में लेते है किन्तु गैस खतम हो जाने व दूध खराब नहीं हो चाय बनाने के लिए घरेलू सिलेण्डर का उपयोग करना बताया है, तथा भविष्य में ऐसा नहीं करने का वचन दिया है तथा क्षमा याचना की गई है । प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर कॉमर्शियल गैस खतम हो जाने व मजबूरी में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करना बताया है । अप्रार्थी की प्रार्थना पर सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित पाते है ।
6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा